कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 03/2025 **दिनांक 14/04/2025**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 13.04.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना भांवरकोल पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 66/25 धारा 65(2) बीएनएस व 5M/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 13.04.2025 को थानाध्यक्ष भांवरकोल मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-66/25 धारा 65(2) बीएनएस व 5M/6 पाक्सो एक्ट में वांछित चल रहा अभियुक्त गौरीशंकर गोड पुत्र स्व0 शिव प्रसाद गोड निवासी ग्राम बदौली अदाई थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर को बीरपुर मोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः -

1.गौरीशंकर गोड पुत्र स्व0 शिव प्रसाद गोड निवासी ग्राम बदौली अदाई थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर उम्र 35 वर्ष।

02. थाना दिलदारनगर पुलिस व कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के ऑपरेशन मैनेजर द्वारा 111.08 लीटर नकली कैस्ट्रॉल मोबिल ऑयल बरामद किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12.04.2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के ऑपरेशन मैनेजर विनय कुमार निवासी थाना शिवरतनगंज अमेठी व उ0नि0 श्री सत्यनारायण शुक्ल मय हमराह द्वारा अभियुक्त जमील अहमद खाँन पुत्र मो0 वकील अहमद खान निवासी वार्ड नं 09 कस्बा दिलदारनगर थाना दिलदारनगर गाजीपुर के दुकान से 111.08 लीटर नकली कैस्ट्रॉल मोबिल ऑयल बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 63/2025 धारा 63 कॉपीराईट अधि0 1957 बनाम जमील अहमद खाँन पुत्र मो0 वकील अहमद खान निवासी वार्ड नं 09 कस्बा दिलदारनगर थाना दिलदारनगर गाजीपुर पंजीकृत कर विधिक कार्य़वाही की जा रही है।

बरामदगी- 111.08 लीटर कैस्ट्रॉल मोबिल ऑयल

03. थाना नोनहरा पुलिस टीम द्वारा अंतर्जनपदीय शातिर चोर को 04 अदद चोरी की मोटर साइकिल तथा एक अदद देशी तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में नोनहरा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 13.04.2025 को ग्रीन फील्ड हाइवे के पास ग्राम रसूलपुर थाना नोनहरा से 04 अदद चोरी की मोटर साइकिल एक अदद देशी तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ एक नफर अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र सूर्यनाथ यादव निवासी ग्राम- गोपाल चक ताजपुर डेहमा थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 77/2025 धारा 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. अभिषेक यादव पुत्र सूर्यनाथ यादव निवासी ग्राम – गोपाल चक ताजपुर डेहमा थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी-

01. चोरी की 04 अदद मोटर साइकिल
02. एक अदद देशी तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 30/2022 धारा 380/411 भादवि थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर
2. 149/2020 धारा 457/380/411 भादवि थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0स0 461/2024 धारा 317(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर
4. मु0अ0स0 127/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर
5. मु0अ0स0 77/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस व3/25 आर्म्स एक्ट थाना नोनहरा गाजीपुर
6. मु0अ0स0 117 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना हलधरपुर जनपद मऊ
7. मु0अ0स0 109/2025 धारा 303(3) बीएनएस थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

04. थाना सुहवल पुलिस द्वारा जमीन रजिस्ट्री के नाम पर जालसाजी कर धोखाधड़ी करने वाले 25000/- रू0 ईनामिया शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में तहत थाना सुहवल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 113/2024 धारा 467,468,471,420,406,506 भादवि में वांछित/पुरस्कार घोषित अभि0 संजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र कन्हैया लाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम बड़ौरा थाना सुहवल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 45 वर्ष को दिनांक 12.03.25 को, बेमुआ पेट्रोल टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त द्वारा फर्जी मकान का पेपर दिखाकर जानबूझकर पूरा परिवार मिलकर साजिश करके मकान बेचने के नाम पर वादी से 31 लाख 50 हजार रुपये चेक के माध्यम व 2 लाख 50 हजार रुपये नगद प्राप्त कर लेना व मांगने पर पैसे वापस न करने तथा धमकी देने के सम्बंध में उक्त अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में भी आपराधिक विश्वातघात,छल बेईमानी आदि धारओं में मुकदमें पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. संजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र कन्हैया लाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम बड़ौरा थाना सुहवल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 45 वर्ष

<u>अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 57/2023 धारा- 406 भादवि थाना सुहवल जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0-89/2024 धारा- 420,406,504,506 भादवि थाना सुहवल गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 96/2024 धारा- 420,406,506 भादवि थाना सुहवल जनपद गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 98/2024 धारा- 406, 419, 420, 504, 506 भादवि थाना सुहवल जनपद गाजीपुर
5. मु0अ0सं0 75/2024 धारा- 406, 504, 506 भादवि व 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

6.मु0अ0सं0 113/24 धारा- 467,468,471,420,406,506 भा0द0वि0 थाना सुहवल,गाजीपुर

<u>गिरफ्तारी का स्थान</u> – बेमुआ पेट्रोल टंकी के पास।

05. थाना जमानियाँ पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों व वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.03.2025 को उ0नि0 भूपेशचन्द्र कुशवाहा मय हमराह द्वारा मु0नं0- 6540/2021 धारा 323/308/504/506 भादवि थाना जमानिया गाजीपुर से सम्बंधित मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा जारी NBW में वांछित/वारण्टी अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लेकर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

<u>गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता–</u>

1. लक्ष्मण बिन्द पुत्र शिवबचन बिन्द उर्फ मेठ नि0 चकिया थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर